



डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2017/4181

दिनांक :20-05-2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबा रामनाथ समारक महाविद्यालय,
बिहामदपुर, आशापार, अम्बेडकरनगर।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश की धारा 37(2) में उल्लिखित प्राविधानों के कम में सम्बद्धता समिति की संस्तुति दिनांक: 09.05.2016 के कम में कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में कार्यपरिषद की संस्तुति की प्रत्याशा बाबा रामनाथ समारक महाविद्यालय, बिहामदपुर, आशापार, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 50 सीट (01 यूनिट) को शैक्षिक सत्र 2017-19 में संचालित किये जाने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की संस्तुति एवं सम्बद्धता प्रस्ताव में संलग्न प्रमाणित अभिलेखों एवं अंकित मानकों/विवरणों के सत्यापन के अधीन निम्नलिखित कमियों के अन्तर्गत दिनांक: 01.07.2017 से बी0एड0 सत्र 2017-19 हेतु सशर्त सम्बद्धता प्रदान किया जाता है—

1. महाविद्यालय/संस्था सम्बद्धता समिति की कार्यवाही में इंगित कमियों यथा— प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है से सम्बन्धित कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण एवं माह के अन्दर कर रहे हुए विश्वविद्यालय को शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है।
3. महाविद्यालय/संस्था द्वारा सम्बद्धता प्राप्त की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा—प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण कक्षाएँ प्रारम्भ होने से पूर्व कराया जाय तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. महाविद्यालय/संस्था शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकों तथा शासन द्वारा निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं दिये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता आदेश प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. शासनादेश के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान तथा सी0पी0एफ0 की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
9. अनुमोदित अध्यापकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हें विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा।

भवदीय

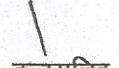

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 परीक्षा नियन्त्रक/ वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव परीक्षा।

2. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


कुलसचिव